न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 55/2019
किस्म :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक : 09.07.2019
निर्णय दिनांक: 15.04.2026

अनवान

1–माधु पिता लालुजी जाति गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2–भुरीबाई पुत्री लालुजी जाति गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थीया

बनाम

1–सुखलाल पिता कजोड जाति गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2–बद्रीलाल पिता कजोड जाति गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा, **फौत विलोपित**
3–प्रेमीबाई पत्नि कजोड जाति गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4–कंकु पुत्री कजोड जाति गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

प्रार्थीगण अधिवक्ता– राकेश सनाढ्य
अप्रार्थीगण अधिवक्ता– शांतिलाल जाट

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमियां ग्राम खटुकडा तहसील क्षेत्र रेलमगरा की सीमा में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 243 240, 241, 242, व 265, 266, 267, 268, प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अंकित होकर प्रार्थीगण ही उक्त कृषि भूमियों पर काबिज होकर उपयोग– उपभोग कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ में संलग्न है। यह कि प्रार्थीगण की आधिपत्य शुदा उक्त आराजी संख्या 243, 242, 241, 240,व 265, 266, 267, 268, की सिंचाई हेतु आराजी संख्या 248 आ.चाह स्थित है आ.चाह संख्या 248 प्रार्थीगण, विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदारान के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य का स्थित है। यह कि प्रार्थीगण को आ.सं. 243 में आने–जाने, हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि आ.सं. 248 आ. चाह की छुटट से होकर विपक्षीगण की आराजी सख्या 245 व 244 की उत्तरी दिशा की पाली से होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही अपनी आराजी संख्या 243 में एंव 243 से 241, 242, 240 में आते जाते रहे है एंव प्रार्थीगण के आ. चाह 248 से अपने हिस्से का पानी अपने उक्त आराजीयात में धीरे के रूप में विपक्षीगण की उक्त आ.सं. 245 व 244 के उत्तरी दिशा की पाली के सहारे–सहारे पानी ले जाकर अपनी कृषि भूमियों में सिंचाई करते चले आ रहे हैं एंव अपनी आ.सं. 243 में इसी कदिमी रास्ते से होकर हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि लाते– ले जाते रहे है

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रमाण में विपक्षीगण की आ.सं. 245, 244 की जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेश साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थीगण अपनी आ.सं. 243 में आने–जाने हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एंव काश्त करने हेतु विपक्षीगण की आ.सं. 245 व 244 की उत्तरी दिशा की पाली से होकर अपनी आ.सं. 243 के उत्तरी पूर्वी कोने से प्रवेश करते है तथा वहाँ से अपनी अन्य–अन्य आराजीयातों में आते जाते व कृषि कार्य करते है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 243 में आने–जाने हेतु उक्त रास्ता एक मात्र रास्ता है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की अपनी उक्त आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। यह कि प्रार्थीगण की आ.सं. 243 के पूर्वी दिशा की तरफ विपक्षीगण की आ.सं. 244 व 245 स्थित है जो आ. चाह संख्या 248 की खुट्ट से सटा स्थित है। प्रार्थीगण अपनी आ. सं. 243 में आने–जाने हेतु आ. चाह संख्या 248 की खुट्ट से होकर विपक्षीगण की आ.सं. 245 व 244 की उत्तरी पाली से होकर आ.सं. 244, 245 की उत्तरी दिशा की पाली से होकर अपनी आ.सं. 243 में अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त कदिमी रास्ते से आते–जाते रहे हैं। यह कि आ.सं. 244 व 245 विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 वार के पूर्वज कजोड़ पिता कालूजी गाडरी के नाम पर राज़स्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है परन्तु उक्त खातेदार कजोड़ की मृत्यु हो जाने से उक्त कृषि आराजीयात 244 व 245 पर विपक्षीगण का ही स्वामित्व एंव आधिपत्य होने से विपक्षीगण जबरन अपने बाहुबल के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त कदिमी रास्ते के उपयोग–उपभोग में व्यवधान, बाधा, रूकावट कारित कर रहे है तथा आये दिन प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को बंद कर प्रार्थीगण को अपनी आ.सं. 243 में आने–जाने हेतु उक्त कदिमी रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं होते हुए भी जलील व परेशान करते है एंव आज से करीब 20 दिन पूर्व विपक्षीगण ने प्रार्थीगण का उक्त रास्ता बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी आ.सं. 243 में आने–जाने से वंचित रह रहे है प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते के उपयोग–उपभोग एंव बंद नहीं करने बाबत् विपक्षीगणों को कहा तो विपक्षीगणों ने उक्त भूमियों राजस्व रेकार्ड में अपने पिता व पति के नाम पर दर्ज अंकित होने से एंव राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने–जाने एंव उपयोग–उपभोग हेतु मना करते हुए उक्त रास्ता बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थनापत्र रास्ता प्राप्त करने हेतु आप न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आ.सं. 243 में आने–जाने हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 4 वार की आ.सं. 244 व 245 की उत्तरी दिशा की पाली पर आ.सं. 243 से लेकर आ.सं. 245 की उत्तरी दिशा में कुंए की खुट्ट तक 13 फीट चौड़ा सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है अर्थात प्रार्थीगण की आ.सं. 243 के उत्तरी पूर्वी कोने से लेकर आ.सं. विपक्षीगण की आ.सं. 244 की उत्तरी पाली से होते हुए आ.सं. 245 के उत्तरी–पश्चिमी कोने तक सम्पूर्ण लम्बाई में 13 फीट चौड़े रास्ते की सख्त आवश्यकता है जो प्रार्थीगण कानूनन प्राप्त करने एंव राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के विधिक रूप से अधिकारी है जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 7 सात में वर्णित रास्ते की प्रार्थीगण को अत्यन्त आवश्यकता है प्रार्थीगण उक्त रास्ते के अभाव में अपने खेतों के उपयोग–उपभोग, कृषि कार्य से वंचित हो रहे है जिसे प्रार्थीगण को दिलाया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है न्यायालय उक्त रास्ते के एवज में जो भी प्रतिकर आप न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को विहित करने का आदेश बताया जायेगा उस आदेश की पालना प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

करने को तैयार हैं तथा प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 7 सात में जो कदिमी रास्ता वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एंव नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में इन्द्राज कराया जाना नितांत आवश्यक है जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत है। यह कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को आ.सं. 243 में आने–जाने हेतु विपक्षीगण ने अपनी आ.सं. 245 व 244 से होकर आज से करीब 20 दिन पूर्व रोक दिया तथा उक्त रास्ते को बंद कर दिया एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते से निकलने पर विपक्षीगण द्वारा लड़ाई–झगड़ा करने एंव मारपीट करने से उतारू होने से उक्त प्रार्थनापत्र का हेतुक आज से करीब 20 दिन पूर्व से उत्पन्न होकर एंव अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को आज से करीब 3 दिन पूर्व उक्त रास्ता खोलने हेतु कहाँ तो विपक्षीगण ने मना कर दिया तब से प्रार्थनापत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि प्रार्थीगण की सहखातेदार भंवर की मृत्यु हो जाने से उसे इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा आ.सं. 244 व 245 के खातेदारान कजोड़ पिता कालू गाडरी की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1 एक से लगायत 4 चार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। यह कि विपक्षी संख्या पांच भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे कोई दाद नहीं चाही गई है। यह कि वादग्रस्त जायदाद एंव पक्षकारान गाँव खटुकडा, तहसील रेलमगरा के होने से उक्त प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको अभिप्रेत है।

अतः प्रार्थनापत्र है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रार्थीगण को अपनी आ.सं. 243, 242, 241, 240,व 265, 266, 267, 268, में आने–जाने, हल, बैल, बैलगाड़ी, आदि ले जाने के लिये प्रार्थीगण की आ.संख्या 243 के उत्तरी पूर्वी कोने से लेकर विपक्षीगण की आ.सं. 244 के उत्तरी पाली से होते हुए आ.सं. 245 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक सम्पूर्ण लम्बाई में 13 फीट चौड़ा सम्पूर्ण लम्बाई का रास्ता विपक्षीगण से दिलाया जावे। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावे। विकल्प में निवेदन है कि न्यायालय यदि विपक्षीगण को प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित समझता है तो आप न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर की राशि प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। तथा प्रतिकर की राशि जमा होते ही उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया जावे। अन्य कोई समुचित सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलायी जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गये। विपक्षीगण की और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 240, 241, 242, 243 प्रार्थीगण के होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी चाह संख्या 248 प्रार्थीगण विपक्षीगण एंव अन्य सहखातेदारान के संयुक्त स्वामित्व एंव आधिपत्य का होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 की वकायत जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 243 में आने–जाने हेतु आराजी संख्या 248 आराजी चाह की खुट्ट से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 245, 244 की उत्तरी दिशा की पाली से होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से आराजी संख्या 243, 241, 242, 240 में नहीं आते जाते हैं। न ही धीरे के रूप में आराजी चाह संख्या 248 से पानी की

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सिंचाई करते है एंव की पाली के सहारे–सहारे पानी ले जाकर कृषि भूमी की सिंचाई करते है एंव न ही आराजी संख्या 243 में इस प्रकार का आराजी संख्या 243 के लिये कदिमी रास्ता है बल्कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 243, 241, 242, 240 के लिये आराजी संख्या 248 आराजी चाह की खुट्ट से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 240 की उत्तरी पाली पर होकर आते–जाते है जो आराजी संख्या 244 आराजी चाह संख्या 248 की छुट्ट से मिला हुआ है। प्रार्थीगण का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 245 में नही है बल्कि आराजी संख्या 258 से रिकोडेड रास्ते से आराजी संख्या चा.ह संख्या 248 की छुटट की भूमि पर होकर आराजी संख्या 244 विपक्षीगण की भूमि से होकर अपनी आराजी संख्या 243 में प्रवेश करते है विपक्षीगण भी अपनी आराजी सख्या 239 में आराजी संख्या 239 में आराजी संख्या चाह संख्या 248 की छुटट की भूमि से होकर आराजी सख्या 244 अपनी भूमि में होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 243, 242 व 240 की उत्तरी पाली के सहारे सहारे पुर्व से पश्चिम की ओर जाते आते है व हल, बैल, बैलगाडी, टेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये विपक्षीगण की आराजी संख्या 245 में कोई रास्ता नही है। बल्कि आराजी संख्या चाह संख्या 248 की छुटट की भूमि से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 244 की उत्तरी पाली पर होकर 243 में आते जाते है व विपक्षी भी प्रार्थी की आराजी सख्या 239 में आते जाते है। कि प्रार्थना पत्र कलम संख्या 5 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण आराजी संख्या 243 में आने जाने के लिये रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 245 में नही होकर आराजी संख्या चाह आराजी संख्या 248 की भूमि से सीधे आराजी संख्या 244 में प्रवेश कर 244 की उत्तरी पाली पर आते जाते है। कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। कजोड जी की मृत्यु अवश्य हुई है व विपक्षी संख्या 1 से 4 कजोड जी के वारिस अवश्य है किन्तु विपक्षीगण की आराजी संख्या 245 पर प्रार्थीगण को कोई रास्ता बंद किया बल्कि प्रार्थीगण का आराजी संख्या 243 के लिये रास्ता आराजी संख्या चाह संख्या 248 से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 244 की उत्तरी पाली पर है। कि प्रार्थना पत्र कलम संख्या 7 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है जैसा कि उपरनिवेदन किया जी चुका है प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 243 में आने जाने लिये आराजी संख्या 248 की छुटट से होकर सीधे विपक्षीगण की आराजी संख्या 244 के उत्तरी पुर्वी कोने से प्रवेश होकर आराजी संख्या 244 की उत्तरी पाली के सहारे सहारे आराजी संख्या 243 में प्रवेश करते है। आराजी संख्या 248 से विपक्षीगण की आराजी संख्या 245 में प्रवेश नही करते है। आराजी संख्या 245 में प्रार्थीगण का न कभी रास्ता रहा है न ही रास्ता है। कि प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 8 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण आज भी अपने खेतो में फसल की बुवाई कर रहे है जो आराजी सख्या 248 की छुटट से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 244 की उत्तरी पाली पर होकर अपनी आराजी संख्या 243 में प्रवेश करते है तथा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8 में वर्णित सहायता के रूप में प्रार्थीगण इस तरह की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 9 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई हेतुक उत्पन्न नही हुआ है न ही कभी विपक्षीगण ने कभी प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा किया न ही आराजी संख्या 245 में कोई रास्ता है। कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 का विवरण कानुनी है। कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 का विवरण कानुनी है। कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 12 का विवरण कानुनी है तथा प्रार्थीगण की प्रार्थना मिथ्या है। इस तरहकी सहायता प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विशेष कथन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

यह कि प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 243 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 244 की उत्तरी पाली पर होकर आराजी चाह संख्या 248 की छुटट की भूमि पर होकर आराजी संख्या 258 रास्ते की भूमि से होकर आते जाते है व विपक्षीगण भी आराजी चाह संख्या 248 की भूमि से होकर अपनी आराजी संख्या 244 की भूमि पर होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 243 की उत्तरी पाली पर होकर आराजी संख्या 242 की उत्तरी पाली पर पुर्व से पश्चिम होकर आराजी संख्या 240 की उत्तरी पाली पर पुर्व से पश्चिम होकर अपनी आराजी संख्या 239में प्रवेश कर काश्त करते चले आ रहे है व विपक्षीगण ने इस रास्ते को कभी नही रोका है ऐसी सुरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें तथा प्रार्थीगण को कोई प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न नही हुआ है जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें । विकल्प में निवेदन है कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 244 में प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाता है। तो विपक्षीगण को भी प्रार्थीगण की आराजी संख्या 243, 242, 240 की उत्तरी पाली पर उत्तरी पाली के सहारे सहारे पुर्व से पश्चिम 13 फिट चौडा रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 239 में प्रवेश होने तक दिलाया जाने का आदेश बक्षाया जावें। ताईद में शपत्र पत्र पेश है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो व तहसीलदार की रिपोर्ट को दौहराया गया। और निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी मौजा ग्राम खटुकडा में स्थित हैं। उक्त आराजियात पर पूर्व से ही रास्ते के उपयोग–उपभोग में ली जा रही है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया प्रार्थी की जमीन इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय शुल्क प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया।

उभय अधिवक्ता द्वारा बहस में दिए गए उजरात पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी की आराजी नम्बर 243, 242, 241, 240,व 265, 266, 267, 268, का खातेदार काश्तकार होना ताईद है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा भी मौका जांच रिपोर्ट करवाई गई उक्त आराजियात में प्रार्थी को आने–जाने के लिए निकटतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित विपक्षीगण की आ.सं. 244 के उत्तरी पाली से होते हुए आ.सं. 245 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक सम्पूर्ण लम्बाई में 13 फीट चौड़ा सम्पूर्ण लम्बाई का रास्ता विपक्षीगण से दिलाया जावे। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावे। विकल्प में निवेदन है कि न्यायालय यदि विपक्षीगण को प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित समझता है तो आप न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर की राशि प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। तथा प्रतिकर की राशि जमा होते ही उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया जावे। का ही प्रस्तावित किया गया इसके अतिरिक्त निकटतम कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आने–जाने के लिए रास्ते की

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आवश्यकता रहती हैं जिससे तहसीलदार की जांच रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य समझती हूँ।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं की ग्राम खटुकडा की प्रार्थी की आराजी नम्बर प्रार्थी की आराजी नम्बर 243, 242, 241, 240,व 265, 266, 267, 268, में जाने के लिए विपक्षीगण की आ.सं. 244 के उत्तरी पाली से होते हुए आ.सं. 245 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक सम्पूर्ण लम्बाई यानि आराजी संख्या 244 में से 198 फिट लम्बाई व 13 फिट चौडाई रकबा 0.03 बिस्वा यानि 2574 वर्गफिट, व आराजी संख्या 245 में से 277 फिट लम्बाई व 13 फिट चौडाई 0.04.4 बिस्वा यानि 3601 वर्गफिट, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार दुगुनी राशि, प्रार्थी तहसीलदार रेलमगरा के कार्यालय में जमा करावें। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें तथा जमा राशि नियमानुसार विपक्षीगण को लौटाई जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा